प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न(एफएक्यू)

प्रश्न 1. योजना का स्वरूप क्या है?

योजना व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है जिसकी अवधि एक वर्ष है , जिसका नवीकरण प्रत्येक वर्ष किया जा सकता है और जो कि दुर्घटनावश मृत्यु एवं विकलांगता के लिए सुरक्षा प्रदान करती है.

प्रश्न 2. योजना के अंतर्गत लाभ तथा देय प्रीमियम क्या होगा?

लाभ निम्नानुसार है:

	लाभ की तालिका	बीमा राशि
1)	मृत्यु	2 लाख रु.
2)	दोनों आँखों की कुल तथा अपूर्णनीय क्षति अथवा दोनों हाथों अथवा दोनों पैरों का काम करने में अक्षम होना अथवा एक आँख की नज़र खो जाना और एक हाथ या पैर का काम करने में अक्षम होना.	2 लाख रु.
3)	एक आँख की नज़र की कुल तथा अपूर्णनीय क्षति या एक हाथ अथवा एक पैर का कम करने में अक्षम होना.	1 लाख रु.

प्रत्येक सदस्य से 12/- रु. के साथ सेवा कर, यदि कोई हो, का वार्षिक प्रीमियम लिया जाएगा

प्रश्न 3. प्रीमियम का भुगतान कैसे किया जाएगा?

नामांकन में दी गयी सहमति के अनुसार यह प्रीमियम राशि खाताधारी के बैंक खाते से 'स्वतःनामे' सुविधा के अनुसार एक किस्त में काट ली जाएगी. योजना के अनुभव की समीक्षा के दौरान पुनःजांच में आवश्यक समझे जाने वाले परिवर्तन के अध्यधीन सदस्य योजना के लागू रहने तक प्रति वर्ष 'स्वतःनामे' का एकबारगी अधिदेश भी दे सकते हैं.

प्रश्न 4. योजना को प्रस्तावित/ प्रशासित कौन करेगा?

इस योजना को आईडीबीआई बैंक की सहभागिता में बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. (बीएजीआईसीएल) द्वारा प्रस्तावित/ प्रशासित किया जाएगा.

प्रश्न 5. सदस्यता के लिए कौन पात्र होंगे?

बैंक के 18 से 70 वर्ष की आयु वाले सभी बचत बैंक खाता धारक इस योजना में शामिल होने के हकदार हैं. यदि किसी व्यक्ति के एक अथवा विभिन्न बैंकों में कई बैंक खाते हैं तो वह व्यक्ति केवल एक बैंक खाते के द्वारा ही इस योजना में शामिल हो सकता है.

प्रश्न 6. नामांकन की अवधि तथा तौरत्तरीके क्या हैं?

01 जून 2015 से 31 मई 2016 तक प्रारंभ में कवर अवधि के उद्घाटन पर सदस्यों से यह अपेक्षा की गई थी कि वे अपना नामांकन कराएं और स्व तःनामे (ऑटो-डेबिट) विकल्प 31 मई 2015 तक दें. यह समय-सीमा 31 अगस्त 2015 तक बढ़ाई जा सकती है. इस तिथि के बाद विनिर्दिष्ट शर्तों पर पूरे वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर योजना में शामिल होना संभव हो सकता है. वे सदस्य जो पहले वर्ष के बाद योजना को कायम रखना चाहते हैं उन्हें आगामी वर्षों के लिए प्रत्येक अगली 31 मई से पहले स्वतःनामे के लिए अपनी स्वीकृति देनी होगी . इस तिथि के बाद निर्धारित की गई शर्तों के अनुसार पूर्ण वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर योजना का नवीकरण संभव हो सकता है.

प्रश्न 7. क्या वे पात्र व्यक्ति जो प्रारंभिक वर्ष में योजना में शामिल नहीं हो पाए , बाद के वर्षों में योजना में शामिल हो सकते हैं?

जी हां, स्वतःनामे के माध्यम से प्रीमियम के भुगतान पर . तदनुसार, भविष्य के वर्षों में नए पात्र प्रवेशकर्ता भी इस योजना में शामिल हो सकते हैं.

प्रश्न 8. क्या जो व्यक्ति योजना छोड़ जाते हैं वे फिर से जुड़ सकते हैं?

किसी भी समय योजना को छोड़कर जाने वाले व्यक्ति भविष्य के वर्षों में यथा निर्धारित शर्तों के अधीन वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर योजना में फिर से जुड़ सकते हैं.

प्रश्न 9. योजना के लिए मास्टर पॉलिसी धारक कौन होगा?

आईडीबीआई बैंक मास्टर पॉलिसी धारक होगा.

प्रश्न 10. सदस्य का दुर्घटना कवर कब समाप्त हो सकता है?

निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति में सदस्य का दुर्घटना कवर समाप्त/ सीमित हो जाएगा:

i. 70 वर्ष की आयु (जन्मदिन के निकटतम आयु) प्राप्त करने पर.
ii. बैंक खाते की समाप्ति अथवा बीमा जारी रखने के लिए शेष राशि की अपर्याप्तता.
iii. यदि सदस्य एक से अधिक खाते से कवर होता है और बीमा कंपनी को प्रीमियम अनजाने में प्राप्त होता है, तो बीमा कवर को सिर्फ एक खाते तक सीमित कर दिया जाएगा और प्रीमियम को जब्त किया जा सकता है.

प्रश्न 11. बीमा कंपनी तथा बैंक की क्या भूमिका होगी?

i. योजना को आईडीबीआई बैंक की सहभागिता में बीएजीआईसी द्वारा प्रशासित किया जाएगा.

ii. खाताधारकों से प्राप्त विकल्प के अनुसार उचित वार्षिक प्रीमियम को देय तिथि को अथवा उससे पहले, स्वतःनामे प्रक्रिया के माध्यम से वसूल करने तथा बीमा कंपनी को देय राशि अंतरित करने का उत्तरदायित्व बैंक का होगा.

iii. निर्धारित प्रोफॉर्मा में नामांकन फॉर्म / ऑटो डेबिट प्राधिकार / सहमति सह घोषणा पत्र बैंक द्वारा प्राप्त किए तथा रखे जाएंगे. दावों के मामलों में बीमा कंपनी इन्हें प्रस्तुत करने की मांग कर सकती है. किसी भी समय इन दस्तावेजों की मांग करने का अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित है.

प्रश्न 12. प्रीमियम का विनियोजन कैसे होगा?

1) बीएजीआईसी को बीमा प्रीमियम : रु. 10/- प्रति वर्ष प्रति सदस्य
2) बीसी/ माइक्रो/ कॉरपोरेट/ एजेंट को व्यय की प्रतिपूर्ति : रु. 1/- प्रति वर्ष प्रति सदस्य
3) बैंक को प्रशासनिक व्यय की प्रतिपूर्ति : रु. 1/- प्रति वर्ष प्रति सदस्य

प्रश्न 13. क्या यह कवर किसी अन्य बीमा योजना के अंतर्गत जिसमें सदस्य कवर हो, के कवर से अतिरिक्त होगा?

जी हां.

****